नेकी राम बनाम ओमप्रकाश व अन्य

किस्म मुकदमाः—अपील अंतर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम

नम्बर मुकदमा 20 सन् 2018 दिनांकः— 17.05.18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामी[ल में] जारी हुए
यह अपील अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत की गयी। दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं है व नायब तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही की जा रही है इसलिए नायब तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 27.4.18 की कार्यवाही अपास्त फरमायी जावे। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा की आदेशिका के अनुसार चक 35 एसटीजी के प0नं0 1/343 कि0नं. 1/.0013 व कि0नं0 2/.0013 कुल 0.065 है रास्ता की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं। इसी को खुलवाने बाबत नायब तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा मौका फर्द तैयार कार्यवाही की गयी है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अपील में अंकित तथ्यों के दृष्टिगत यह प्रकट है कि चुनौतीग्रस्त आदेश एक प्रक्रियात्मक दस्तावेज है जो क्रियान्वित किये जाने के लिहाज से परपिक्व नहीं है। अतः नायब तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 27.4.18 को तैयार की फर्द मौका की क्रियान्विति स्थगित की जाती है । साथ ही तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि (रास्ता) के संबंध में नियमानुसार धारा 251 आरटीए के तहत प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों को साक्ष्य/ सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् आदेश पारित करें। यह भी आदेश दिया जाता है कि फर्द कार्यवाही दिनांक 27.4.2018 साक्ष्य में ग्राहय दस्तावेज रहेगा। आदेशिका की प्रमाणित तहसीलदार पीलीबंगा को जरिये पत्र भिजवाई जावे। इसी अनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0) (प्रकाश चन्द्र चौधरी) अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़	